

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 10/2010

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. टीकमराम पुत्र अणदाराम
2. भंवरलाल पुत्र अणदाराम
3. भोलाराम पुत्र हरजीराम
4. लाबूराम पुत्र हरजीराम
5. जयराम पुत्र श्री हरजीराम
6. घीसाराम पुत्र श्री हरजीराम
7. फाऊलाल पुत्र श्री हरजीराम
8. बगदाराम पुत्र नारायणराम
9. गोपाराम पुत्र नारायणराम
10. छोटाराम पुत्र श्री रूपाराम
सभी जातियान सीरवी
11. प्रतापराम पुत्र श्री छोटाराम सीरवी
12. मंगलाराम पुत्र श्री रूघाराम जाति
कुम्हार, निवासीगण उदलियावास,
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

1. चुन्नीलाल पुत्र पुरखाराम
2. मंगलाराम पुत्र छितरराम
3. दलाराम पुत्र छितरराम
4. आयचुकी पत्नी छितरराम
5. पानकी पत्नी चुनाराम जी
6. लाबुडी पत्नी केसाराम
7. पानकी पत्नी छोटाराम
8. लादूराम पुत्र श्री रावतराम
9. पोकरराम पुत्र श्री जगाराम
10. भूराराम पुत्र भारमल
11. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
12. पाबुराम पुत्र जोगाराम
13. प्रबुराम पुत्र जोगाराम
14. केसाई पुत्री जोगाराम
15. कालुराम पुत्र मंगाराम
16. गेनाराम पुत्र शेषाराम
17. बुधाराम पुत्र शेषाराम
18. पानी पुत्री शेषाराम
19. सोहनी पत्नी शेषाराम
20. दुर्गाराम पुत्र रेवतराम
21. हापूराम पुत्र श्री रेवतराम
22. चैनाराम पुत्र रेवतराम
23. बचनाराम पुत्र मंगाराम
24. गुदड़राम पुत्र पुरखाराम
25. भीयाराम पुत्र पुरखाराम
26. टीकाराम पुत्र श्री पुरखाराम
27. कानाराम पुत्र ढगलाराम
28. चुनीदेवी पत्नी ढगलाराम
29. भोलाराम पुत्र श्री रूघाराम
30. मलाराम पुत्र रूघाराम
सभी जातियान सीरवी
निवासीगण उदलियावास तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
31. सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 04.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी प्रार्थीगण अथवा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। बार-बार आवाजे दिलायी गयी मगर प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 14/2010 टीकमराम वगैराह बनाम चुन्नीलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के साथ सलंगन हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा